न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 228–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2006 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 545 अ–19/05–06 निगरानी

1– मुन्नीलाल पुत्र अनन्दी अहिरवार
2– छोटेलाल पुत्र अनन्दी अहिरवार
3– वृजलाल पुत्र अनन्दी अहिरवार
4– छक्कीलाल पुत्र तिजई
सभी ग्राम इटायली तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामचरण पुत्र घासीराम चमार
2– बलराम पुत्र तिजू धोवी
3– मन्जू (मृतक) वारिसान
गोरेलाल पुत्र स्व. मंजू सभी ग्राम
इटायली तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जे.एल.गौड़)

आ दे श

(आज दिनांक 5–11–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 545 अ–19/05–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार पलेरा व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 16–5–2002 से ग्राम इटायली के 26 भूमिहीनों को भूमि का आवंटन किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने

अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अपील क्रमांक 97/2002-03 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 24-5-2006 से ऑशिकरूप से अपील स्वीकार कर मनोहर पुत्र पर्वत कुम्हार के हित में भूमि खसरा नंबर 13 रकबा 0.825 हैक्टर का बंटन निरस्त किया गया तथा शेष 25 भूमिहीनों का बन्टन यथावत् रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के यहां निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 545 अ-19/ 05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2006 से निगरानी स्वीकार की गई तथा तहसीलदार पलेरा को निर्देश दिये गये कि अनावेदकगणों को प्राप्त पटटे की भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाय एंव तरमीम कर विधिवत नक्शे तैयार किये जॉय तथा आवेदकगण की पटटे की भूमि जिन लोगों को पुनः बन्टन में दी गई है उनका बन्टन निरस्त किया जाय तथा पात्रतानुसार उन्हें अन्य भूमि देने की कार्यवाही की जावे। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को बहस में सुना तथा अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 20.12.2006 के पद-2 में निष्कर्ष दिया है कि :-

- तहसीलदार पलेरा ने दि. 28.3.2002 को आदेश पत्रिका में यह उल्लेख किया है कि ग्राम इटायली में भूमिहीन अनु.जाति, अनु0जनजाति के व्यक्तियों को भूमि का बन्टन किया जाना है। दि. 28-3-02 की आदेश पत्रिका में उदघोषणा जारी हो और 9-4-2002 की पेशी अंकित की गई है जो कि मात्र ग्यारह दिवस की पेशी देकर उद्घोषणा का आदेश दिया गया है, अभिलेख में उदघोषणा पृष्ठ-11 पर है जांच प्रतिवेदन दि. 16-5-02 को जांच प्रतिवेदन में ही नायव तहसीलदार पलेरा ने पटटे जारी किये, अनुमोदन के लिये तहसीलदार पलेरा को भेजा। तहसीलदार पलेरा ने अनु0अधिकारी पलेरा को प्रकरण अनुमोदन के लिये भेजा। अनुविभागीय अधिकारी पलेरा ने दि. 22-6-02 को यह अंकित कर नस्ती वापिस की कि, राजस्व विभाग के ज्ञापन दि. 2-3-02 के अनुसार बंटन कार्यवाहीपूर्ण करें, जिससे स्पष्ट है कि अनु. अधिकारी ने अनुमोदन नहीं किया, उसके बाबजूद भी बंटन कर दिया गया। *

विचार योग्य है कि नायव तहसीलदार के उक्त बन्टन आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी पलेरा के समक्ष अपील क्रमांक 97/2002-03 प्रस्तुत हुई, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष भूमि बन्टन नियम विरूद्व होने का तथ्य उजागर होने एंव स्वंय् अनुविभागीय अधिकारी व्दारा बन्टन का अनुमोदन नहीं देने का तथ्य आ चुका था। इसी प्रकार अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा की गई उपरोक्त विवेचना अनुसार उनके अभिज्ञान में भी भूमि बन्टन अनियमित होने का तथ्य आ चुका था, फिर भी उन्होंने नायव तहसीलदार पलेरा के आदेश दिनांक 16-5-2002 को ऑशिक सॅशोधन उपरांत स्थिर रखा है, जबकि अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को आदेश दिनांक 20.12.2006 पारित करते समय उनके व्दारा उपरोक्तानुसार निकाये गये निष्कर्ष को ध्यान में रखकर नायव तहसीलदार व्दारा

भूमि बन्टन में की गई अनियमिततायें उजागर होने पर नायव तहसीलदार के बन्टन आदेश दिनांक 16-5-02 को अॅशतः निरस्त न करके संपूर्ण आदेश को निरस्त करना चाहिये था, जब भूमि बन्टन कार्यवाही प्रारंभ से ही नियम व प्रक्रिया के विरूद्ध है तब नायव तहसीलदार पलेरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 10 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2002 को पूर्णतः निरस्ती योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी के तथ्य आवेदकगण के हित में न होने से निगरानी अमान्य की जाती है। प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 545 अ-19/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2006, अनुविभागीय अधिकारी, जतारा व्दारा प्रकरण क्रमांक 97/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 24-5-2006 तथा नायव तहसीलदार पलेरा व्दारा प्रकरण क्रमांक 10 अ-19/ 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम आवंटित की गई समस्त भूमि को भूमि बन्टन के पूर्व की स्थिति में शासकीय अभिलेख में दर्ज कराया जावे। तदुपरांत नायव तहसीलदार के प्र.क्र. 10 अ-19/ 2001-02 का स्वस्तर से परीक्षण कर भूमिहीनों की पात्रता का निर्धारण करते हुये शासन के वर्तमान निर्देशों के प्रकाश में पुनः बन्टन की कार्यवाही की जावे।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर